

28/11-8 /2016/14-1

28/11/16

संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश शासन
कृषि विभाग [संख्या -]
224
एजी क्रमांक 28-01-16
दिनांक

एकल न0क0 अ-1-ब/स्था/को.के./196

विषय:-याचिका क्रमांक डब्ल्यू0पी0 5368/2015 (एस) द्वारा श्री गजराज सिकरवार विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने बाबत ।

माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में श्री गजराज सिकरवार द्वारा याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 5368/2015 (एस) द्वारा श्री गजराज सिकरवार विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य दायर की गई है।

अतः याचिका क्रमांक डब्ल्यू0पी0 5368/2015 (एस) में प्रभारी अधिकारी उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला ग्वालियर को नियुक्त किये जाने हेतु याचिका की प्रति एवं प्रभारी अधिकारी नियुक्ति आदेश की 10 प्रतियां संलग्न प्रेषित है।

कृपया प्रकरण में शासन पक्ष एवं समर्थन हेतु प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति उपरान्त नस्ती विधि विभाग को अंकित करना चाहेंगे।

अपर संचालक(स्था0)

अवर सचिव,
म0प्र0 शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

28.1.16

28/11/16

28/11/16

जा.क-41
27-1-16

सं. 11-8/2016/14-1

2

प्रधानाधिकारी
10/2/16

संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश

एकल न0क0 अ-1-ब/स्था/को.के./196

विषय:- याचिका क्रमांक डब्ल्यू0पी0 5368/2015 (एस) द्वारा श्री गजराज सिकरवार
विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने
बाबत ।

प्रर्वहता के:-

कृषक उपर संचालक (स्थापना) किसान
कल्याण तथा कृषि विकास के उपर विधायकी प्रर्व
हता में प्राप्त प्रस्ताव का उपलोकन करें। जिसमें
प्रभारी अधिकारी, उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि
विकास जिला प्रशासक को नियुक्त किया जाना
प्रस्तावित किया गया है।

तदनुसार अनुक्रमांक प्रस्तुत है।

अनु. अतिरिक्त

'अ' अनुक्रमांक ।

DS (अ)

'अ' अनुक्रमांक प्रस्तुत ।

प्रमुख सचिव

DS (6)

So-1

अथवा प्रस्तावित ।

29/1/16

9/2/16

10/2/16

N-1/C

29/1/16

247 अ
6/2/16/29/2/16
9/2/16

शुक्र 11-8/2016/14-1

3

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:- श्री चक्रावती उच्चतम पीर 5368/2015 (एन)
श्री श्री गजराज सिंह विरुद्ध प्र. शासन एवं प्रमा

मन्त्री. इति
का विभाग

प्रर्व हल से.

कृपया प्रर्व हल. 2 में किसे अनुमोदन
अनुमति प्रमाणी अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य
आदेश की तत्काल प्रतीक्षा रहता है कि प्रस्ताव

16/2/16

अनु. प्रमाणी

16/2/16

11)

कृपया जारी करने के पूर्व अवलोकनार्थ

15/2

15/2/16

29/2/16

15/2-प्र. (1)

29/2/16

50-1

29/2/16

मन्त्री श्री चक्रावती
29/2/16

46667
/20 /14-1
29-02-16

(4)

संख्या 11-8/2016/14-1

छत्तीस-२ सचिवालय

विषय: - मोरच का क्रमांक उल्हास पीर S368/15 (एस) द्वारा
सी गजाराज सिंकरणा ए बिहारी म.प्र. शासन एवं मन्त्र)

प्रं. प्र. डी. वि. विभाग

प्रर्व प्रवृत्त से.

प्रभारी अधिकारी के निधुहित के आदेश
जारी कर दिने गये हैं। प्रतिरक्षा आदेश जारी
किने जाने के संबंध में कृपया वि. वि. विभाग
को अंकित करना चाहें।

P-148/c

अनु. अधिक

पु

उप सचिव

अर प्रतिरक्षा हेतु प्रकरण

वि. वि. विभाग को अंकित करना चाहें।

प्रमुख सचिव

प्रतिरक्षा आदेश हेतु नस्ती अंकित।

प्रमुख सचिव (वि. वि.)

(डॉ. राजीव राय)

प्रमुख सचिव (3/16)

मध्य प्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/एफ-11/8/2016/14-1

भोपाल, दिनांक :- 29.8.11

//आदेश//


सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्याक-5) आदेश सत्ताईस के नियम) तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए प्रभारी अधिकारी उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला ग्वालियर (पक्षकारों के नाम श्री गजराज सिकरवार) विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य याचिका क्रमांक डब्ल्यू0पी0 5368/2015 (एस) में मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने आवेदन करने और उप संजात होने के लिए नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्योरे नीचे दिये गए हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

- (1) प्रभारी अधिकारी तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जाँच करेगा जैसी की आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा । यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी ।
- (2) समस्त सुसंगत फाइले, दस्तावेज नियम, अधिसूचनाएँ तथा आदेश एकत्रित करेगा ।
- (3) वाद पत्र/याचिका में उठाये गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिनमें की शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा ।
- (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा ।
- (5) शासकीय अधिवक्ता के सहायता से लिखित कथन तैयार करवाएगा ।
- (6) शासकीय अधिवक्ता की सहायता ।
- (7) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
(क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट ।
(ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप ।

//3//

- (15) प्रभारी अधिकारी या अन्य यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद के प्रकरण में पारित किये गये किसी अंतिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जावे विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपना अनुशंसा के साथ (सरकार) प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अवर सचिव)




मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा
कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल


पृ0क्रमांक/एफ-11/08/2011/14-1
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक : 29.2.16

- 1 39 महाधिवक्ता म.प्र. उच्च न्यायालय, खंडपीठ ग्वालियर म.प्र।
- 2 सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
- 3 संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र. भोपाल।
- 4 संबंधित जिलाध्यक्ष, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश।
- 5 संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास ग्वालियर संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश।
- 6 उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला ग्वालियर (प्रभारी अधिकारी) की ओर अग्रेषित साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उनके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित करेगा। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जावे।
- 7 आदेश नस्ती।


अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा
विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल

का. प्र.


①

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : Bench at
GWALIOR**

Process Id: 38509/2015

WP/5368/2015

From

Deputy Registrar,
High Court of M.P.
at Gwalior

FOR ADMISSION AND IR
Fixed for 21-01-2016
WP-DA-7
Respondent No. 1
RAD

To,

The State Of Madhya Pradesh Thr.,
Principal Secretary, farmer Welfare &
Agriculture Development Department, Vallbh
Bhabhan,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Gwalior 23-12-2015

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto)
No. WP/ 5368/ 2015

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Gajraj Sikerwar** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/5368/2015**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **21-01-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)

Encl: Copy of Petition



AFFIXED AT GWALIOR

12.1.16
S. 1074
DPS

Your faithfully

AR
SECTION OFFICER
Section Officer
High Court Of Madhya Pradesh
Bench at Gwalior